

भारत सरकार
परमाणु उर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर : केट
इंदौर 452013

संदर्भ: 14 / 05 / 2020 – सामा / 2021

दिनांक 26 मई 2021

उपरोक्त विषयांगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के आदेष क्रमांक 2491 / री.ए.डी. एम. / 2021 का संदर्भ आमंत्रित है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त आदेष के द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर ने किराना / ग्रोसरी, फल सब्जी की दुकानों का पुनः संचालन निम्न शर्तों पर किया है :

- खेरची श्रेणी की निजी किराना / ग्रोसरी दुकानों के संचालक फोन पर ग्राहकों के आर्डर लेकर होम डिलेवरी कर सकेंगे। दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रतिबंधित रहेगा तथा दुकानें बंद रखते हुए ही होम डिलेवरी की गतिविधि की जा सकेगी। खेरची किराना / ग्रासरी दुकानों द्वारा यह घर-घर वितरण सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जायेगा। इस संदर्भ में केट कन्जूमर सोसायटी से 9202655199 एवं अजय बेकरी 9300845944 पर संपर्क करे।
- फल सब्जी का विक्रय केवल चलायमान ठेलों के माध्यम से किया जा सकेगा तथा स्थाई दुकानें बंद रहेंगी। चूंकि आरआरकेट में दो सब्जी की स्थाई दुकानें हैं अतः आर.आर.केट कालोनी के रहवासी श्री अषोक सैनी 7869403653, श्री कुषवाह 7415496850 एंवं 9399468331 को होम डिलेवरी हेतु संपर्क करे।
- दूध का घर-घर वितरण अथवा डेयरी के वितरण पुर्वानुसार प्रातः 6 से 9 तथा सांय 5 से 7 यथावत जारी रहेगा।

अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के उक्त आदेष की अनुपालना करे।

यह आदेष तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली रहेगा।

सभी आरआरकेट रहवासियों से सहयोग की अपेक्षा।

26.05.21

(एस एस गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सभी आरआरकेट रहवासी मेलआल द्वारा

